न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर

मु० नं० 110/2015

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज T.L. उदयारी रिछपाल सिंह नारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	19/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 6-1-20 को पेश हो।	
	6/1/20 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 4/2/20 को पेश हो।	
	4/2/20 पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24/2/20 को पेश हो।	
	24/2/20 पत्रावली पेश हुयी वकुलाय प्रार्थी पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी 6 ता 15 पेश हुआ है और शामिल मिसल रहे। अप्रार्थी न० 16 ता 18 को तामील सम्यक रूप से पेश हुआ है। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इनके इनके (अप्रार्थी न० 16 ता 18) के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है वास्ते जवाब मिसल दिनांक 5/3/20 को पेश हो।	
20	पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी	

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा हेतु पेश हुई। बहस वकील
प्रार्थी की सुनी गयी। दौराने बहस वकील
प्रार्थीगण ने बयान किया कि भूमि ख0न0
नये 712/4802 रकबा 0.33 हे0 तक ग्राम
घसीपुरा तहसील खजेला अवस्थित है जो पुराना
ख0न0 176 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा से बना
है। ख0न0 176 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पुराना
के 1/4 हक हिस्सा का प्रार्थीगण के मृतक पिता
नाथू पुत्र धूडा थे नाथूराम [illegible] के भाई रामनाथ,
धोरू तथा मुरली, गोरु पिता चन्दा ने उक्त
ख0 नम्बरान की भूमि को मौके पर बाहमी तौर
पर बटवार. काश्त करते रहे तथा काबिज रहे
मृतक नाथु पिता प्रार्थीगण के उक्त भूमि में से
जितनी भूमि पर काबिज काश्त उसके अनुसार
विभाजन अनुसार वर्षा के नये नम्बर खसरा
न0 712/4802 रकबा 0.33 हे0 ख0न0 619
रकबा 0.10 हे0 बने। उक्त ख0न0 712/4802
रकबा 0.33 हे0 एवं ख0न0 619 रकबा 0.10 हे0
कुल रकबा 0.43 हे0 की भूमि पर नाथू (मृतक)
काबिज काश्त रहा एवं नाथू की मृत्यु के
पश्चात प्रार्थीगण काबिज काश्त है। ख0न0
712/4802 व 619 की भूमि मौके पर स्कीम
में खाली है तथा भूमि ख0न0 712/4802 की भूमि

अधिकारी

क्रम

मु० नं० 110/2015

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पर प्रार्थीगण का काफी पुराना ~~कब्जा~~ है मकान
भी बना हुआ है जो निवास के उपयोग
मे लेते है इस प्रकार अप्रार्थीगण का भूमि ख०नं०
712/4802 पर कोई कब्जा काश्त नही है
न कोई सम्बन्ध है उक्त भूमि को गलत
रूप से खातेदारी मुरली पिता अप्रार्थीगण
सं० 1 से 4 व गोकुल के नाम दर्ज कर दी तथा
मुरली की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी नं० 1 ता 4
अपने नाम गलत खातेदारी दर्ज करा ली। मौके
पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी अनुसार द्वितीय
सेटलमेन्ट में ख०नं० 619 के साथ-साथ ख०नं०
712/4802 रकबा 0.33 हे० की भूमि भी
मृतक रामदेव के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी
चाहिए थी जो नवीन नम्बर कायमी मे नही
की जिसके आधार अनुसार प्रार्थीगण मालिक है
इसलिए प्रार्थीगण ख०नं० 712/4802 रकबा 0.33
हे० के ~~मालिक~~ खातेदार काश्तकार होकर
घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं
खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी
है अतः गलत खातेदारी की आड़ में प्रार्थीगण
वादग्रस्त भूमि की खामडोल को नष्ट करेंगे
तथा फसल को नष्ट कर कब्जा अतिक्रमण कर
लेंगे अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से जारी की जावे

उपखण्ड अधिकारी

प्र० नं० 110/2015

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

वाद पावन्द फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण का जवाब देते हुए तर्क किये कि भूमि ख० नं० 712/4802 ग्राम घसीपुरा में अवस्थित होना सही है शेष कथन वकील प्रार्थीगण द्वारा मनगढंत व मिथ्या अर्ज किये है। वाद ग्रस्त भूमि 712/4802 के अप्रार्थीगण नं० 1 ता 5 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे। अप्रार्थीगण नं० 1 ता 4 जो कि 1/2 हिस्सा पर तथा अप्रार्थी नं० 5 जो कि 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे है पहले अप्रार्थीगण नं० 1 ता 5 का पिता/दादा/ससुर चन्द्रा काबिज काश्त चला आ रहा था उसकी मृत्यु के पश्चात चन्द्रा के पुत्र अप्रार्थी नं० 1 ता 4 का पिता/पति मुरली व अप्रार्थी नं० 5 काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा मुरली की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि ख० नं० 712/4802 से वादीगण का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही है ना ही पहले रहा है केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से तथा भूमियों को अवैध हड़पने की कुचेष्टा से दावा व प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

मु० न० 110/2018

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पत्र पेश किया है अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वयं खारीज फरमाया जावे। हमने बहस वकील उभय पक्षकारान को सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रिकार्ड तथा जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया गया। वाद भूमि के अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 रिकोर्ड खातेदार काश्तकार है। अत: रिकोर्ड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण न० 1 ता 5 के पक्ष में बनता है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है क्योंकि रिकोर्ड खातेदार को पाबन्द किया जावेगा तो उनके हक अधिकार बाधित होंगे। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली पेशी [illegible] हो। बाद शुमार होकर नम्बर से कम हो। तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	